न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/09/2025	2025/51	10.03.2025	13.01.2026

1.किशन मीना उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मल्ला जाति मीना, निवासी ग्राम नायला नगर, तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू०अभिलेख) रैणी तहसील रेणी जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार राजगढ हाल रैणी दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण संख्या 29 वाके ग्राम चांदपुर तहसील रैणी।

उपस्थितः—

01. श्री अजीत कुमार यादव — वकील अपीलाण्ट
02. श्री राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ हाल रैणी के आदेश दिनांक 22.11.1981 इंतकाल संख्या 29 वाके ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल रैणी से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ़ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर, तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। मिन अपीलान्ट को पूर्व में उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नही थी। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 07.02.2025 को हुई, जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को मेरे पिता मल्ला की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लेने जाने पर मौखिक रूप से दी। बाद जानकारी आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 07.02.2025 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 10.02.2025 को तैयार होकर दिनांक 10.02.2025 को सायंकाल प्राप्त हुई। दिनांक 11.02.2025 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 12.02.2025 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 07.02.2025 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 07.02.2025 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां आलोच्य आज्ञा आरम्भसे ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 07.02.2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

अपील हाजा पर नियमानुसार न्याय शुल्क 2 रूपया चस्पा हैं, तथा तलबाना सशुल्क नियमानुसार पेश किया जा रहा हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान की सत्य प्रतिलिपी संलग्न कर अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व रिकार्ड के खिलाफ हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमायी जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ़ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी किता 6 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा, व आराजी खसरा नंबर 195 रकबा 9 बिस्वा में से 1/16 हिस्सा वाके चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट के पूर्वज ताऊ व पिता श्री जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान की हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट के ताऊ व पिता श्री जयमल व मल्ला का स्वर्गवास हो गया। जिनकी विरासत का आलोच्य नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 22.11.1981 को रैस्पाडैन्ट तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम " किशन मीना पुत्र मल्ला जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान " हैं, तथा मिन अपीलान्ट के पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी मिन अपीलान्ट का नाम" किशन मीना पुत्र मल्ला जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान" अंकित हैं। लेकिन आलोच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रैस्पाडैन्ट द्वारा बिना वारिसान के सही नाम की जांच किये, मिन अपीलान्ट का नाम कैना पुत्र मल्ला" दर्ज कर दिया गया हैं, तथा उक्त आलोच्य आज्ञा के आधार पर ही उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ताहाल में मिन अपीलान्ट का नाम" किशन मीना पुत्र मल्ला " की बजाय " फैली पुत्र मल्ला " दर्ज कर दिया है, जो कि कानूनन गलत है. क्योंकि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम किशन मीना पुत्र मल्ला " हैं, " कैना पुत्र मल्ला" व " फैली पुत्र मल्ला" नही हैं। उक्त गलत नाम अंकन की जानकारी मिन अपीलान्ट को आलोच्य आज्ञा व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल लेने पर हुई हैं। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ताहाल को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम " कैना पुत्र मल्ला " व " फैली पुत्र मल्ला को कलमजन कर उनके स्थान पर मिन अपीलान्ट का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

वास्तविक नाम " किशन मीना पुत्र मल्ला " दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरीत असर पडता है। और मिन अपीलान्ट को उक्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने व आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण पटटा आदि जारी कराने व केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए बनायी गई, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए अपील पेश करना अतिआवश्यक हुआ हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

रैस्पोडैन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब नहीं किया गया, ना मिन अपीलाण्ट को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया, ना मिन अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी की गई। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी, दोषपूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। रैस्पाडैन्ट ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मुकाम परवैणी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 22.11.1981 नामान्तकरण विरासत संख्या 29 ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जयमल व मल्ला पुत्रान श्री हरबल जाति मीना निवासी ग्राम नायला नगर तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान संशोधित कर उक्त आलोच्य आज्ञा व उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ताहाल में दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम " कैना पुत्र मल्ला " व " फैली पुत्र मल्ला को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम " किशन मीना पुत्र मल्ला " दर्ज व तस्दीक करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें। महति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि नामांतरकरण दर्ज करते समय मिन अपीलान्ट का नाम " कैना पुत्र मल्ला " व " फैली पुत्र मल्ला कर दिया गया जो कि गलत है। नाम गलत दर्ज होने से अपीलांट के हक–हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का सही नाम इंतकाल में दर्ज करवाने का श्रम करें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि जयमल व मल्ला की विरासत का इंतकाल संख्या 29 दिनांक 22.11.19981 वाके ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल रैणी को दर्ज करते समय जयमल को लाऔद फौत तथा मल्ला के वारिसों में कैलाश,रामला,कैना व म0 नत्थी को दर्शाया है। तहसीलदार रैणी से कैना पुत्र मल्ला व फैली पुत्र मल्ला के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का वास्तविक नाम केना के स्थान पर किशन होना पाया गया तथा यह भी पाया गया कि केना नाम प्रार्थी का गांव में बोलता नाम है तथा वास्तविक नाम किशन पुत्र मल्ला कोम मीना निवासी नायला नगर दर्ज सही है। किन्तु तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में कैना पुत्र मल्ला और फैली पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मल्ला दोनों एक ही व्यक्ति हैं के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं हैं अर्थात कैना पुत्र मल्ला और फैली पुत्र मल्ला अलग–अलग व्यक्ति हो सकते हैं। चूंकि अपील में दोनों के नाम में संसोधन चाहा गया है। इंतकाल संख्या 29 दिनांक 22.11.1981 में केवल कैना पुत्र मल्ला का उल्लेख है जबकि नामांतकरण में फैली नाम के किसी व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। अतः इंतकाल में नाम नहीं होने से उसके नाम में संसोधन पर विचार कर पाना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील किशन मीना पुत्र मल्ला द्वारा तहसीलदार राजगढ़ (हाल रैणी) के आदेश दिनांक 22.11.1981 इंतकाल संख्या 29 (ग्राम चांदपुर) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि उक्त इंतकाल में उसके पिता 'मल्ला' की विरासत दर्ज करते समय उसका नाम गलत तरीके से "कैना पुत्र मल्ला" दर्ज कर दिया गया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में उसका नाम "फैली पुत्र मल्ला" अंकित हो गया है। प्रार्थी का कहना है कि उसका वास्तविक और दस्तावेजी नाम "किशन मीना" है।

राजकीय अभिभाषक (रेस्पोंडेंट) के तर्कों और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, 'केना' प्रार्थी का गांव में प्रचलित (बोलता) नाम है और वास्तविक नाम 'किशन' है। परंतु, रिकॉर्ड में 'कैना' के साथ–साथ 'फैली पुत्र मल्ला' का नाम भी सामने आया है। इंतकाल संख्या 29 दिनांक 22.11.1981 के मूल रिकॉर्ड को देखने पर पाया गया कि उसमें केवल 'कैना पुत्र मल्ला' का उल्लेख है। उक्त इंतकाल में 'फैली' नाम के किसी व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट ने 'कैना' और 'फैली' दोनों नामों को संशोधित कर 'किशन' करने की प्रार्थना की है। तहसीलदार की रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि 'कैना' और 'फैली' एक ही व्यक्ति हैं। कानूनन, ये दो अलग–अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जिस नाम ('फैली') का उल्लेख मूल इंतकाल में ही नहीं है, उस नाम में संशोधन की मांग इस अपील के माध्यम से स्वीकार करना विधि–सम्मत प्रतीत नहीं होता। 1981 के पुराने रिकॉर्ड में बिना पुख्ता साक्ष्य (कि 'कैना' और 'फैली' एक ही व्यक्ति हैं) के संशोधन करना राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों और विधिक स्थिति के आलोक में आलोच्य इंतकाल संख्या 29 में 'फैली' नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः उसमें संशोधन का आधार अपूर्ण है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि 'कैना' और 'फैली' दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और उनका संबंध अपीलांट/प्रार्थी से ही है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण संख्या 29 दिनांक 22.11.1981 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार राजगढ हाल रैणी द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 29 निर्णय दिनांक 22.11.1981 वाके ग्राम चांदपुर तहसील राजगढ हाल रैणी को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर